पश्चिम रेलवे
Western Railway

सं कार्य W115/2/495

मंडल कार्यालय
मुंबई सेन्ट्रल
दिनांक 10/08/2021

सेवा में
Ex.Eng.B.P.(WS) II"R" Ward,
Office Of the Dy.Ch.E.Eng.B.P.(WS) II
2ND FLOOR C Wing,Municipal Office Building,
90 Feet D.P.Road Near Sanskriti Complex,
Thakur Complex,Kandivali (East)
Mumbai-400101

विषय Mumbai Division –Dahisar (W)-NOC for Plan Showing Redelopment of Existing Building on Plot bearing CTS No.850/A, of village Dahisar,at junction L.T.Road & Y.R.Tawde Road,Tawde Wadi, at (DRM(B) 26743/11-F)

संदर्भः आपका पत्र संख्या NO.Dy.Ch.E.(B.P) 7000 W.S./P&R Dt.07.12/2020

सक्षम अधिकारी Mumbai Division –Dahisar (W)-NOC for Plan Showing Redelopment of Existing Building on Plot bearing CTS No.850/A, of village Dahisar,at junction L.T.Road & Y.R.Tawde Road,Tawde Wadi, at (DRM(B) 26743/11-F) के लियेअनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमोदननिम्नलिखित शर्तो पर दिया गया है।

1. प्रस्तावित निर्माण कार्य में निर्माण कार्य की ऊँचाई तथा रेल भूमि सीमा से दुरी निम्नांनुसार रखी जानी चाहिए।

Height upto top of from Formation Level	Clearance required i.e. Half of the Proposed Building Height.	Clearance Provided from Railway Land boundary as per siteverification skecth
Section A-A		
1.Ht up to top of chajja at 2nd floor =11.05m	**=11.05/2=5.53m**	**=21.80m**
2. Ht up to top of above 2nd floor sloping terrace = 12.05m	**=12.05/2=6.03m**	**=22.30m**
3. Ht up to top of above 12th floor =40.65m	**=40.65/2=20.33m**	**=24.29m**
4.Ht up to top of terrace parapet wall above 12th floor=44.25m	**=44.25/2= 22.13m**	**=24.29m**
5.Ht up to top of lift M/C room above 12th floor /top of Building = 47.65m	**=47.65/2=23.83m**	**=32.01m**

2 प्रस्तावित निर्माण कार्य में निर्माण कार्य की ऊँचाई तथा रेल भूमि सीमा से दुरी निम्नांनुसार रखी जानी चाहिए।

3 उपरोक्त शर्त नं। 1 के अंतर्गत निर्धारित किए गए पैरा मीटर्स का कडाई से पालन किया जाना चाहिए।

4 इस कार्यालय में प्रस्तुत किए गए ले आऊट (Lay out) प्लान तथा नक्शे के अनुसार बगैर कोतही कार्य किया जाना चाहिए। एक भी से.मी. या मीटर के परिवर्तन को इस अनुमति का उलंघन समझा जायेगा और *NOC* रद्द मानी जाएगी ।

5 नाली का प्रावधान इस प्रकार ध्यान में रख कर किया जाएं कि मलयुक्त पानी रेल्वे की हद मे न आए बल्कि नगर पालिका के नाले में जाए। (Storm water drain and drainage should be connected to local body drainage).

6 प्रस्तावित निर्माण Structural Design Parameters में परिपूर्ण होना चाहिए ताकि भूकम्प एवं रेल्वे यातायात रोधक रहे।

7 निर्माण एजन्सी द्वारा रेल्वे की जमीन पर कोइ भी नया या पुरानी भवन निर्माण सामग्री न रखी जाए।

8 "अनापत्ती प्रमाणपत्र" मुख्य इंजीनियर प्रधान कार्यालय पश्चिम रेल्वे चर्चगेट के पत्र सं WLN 1/4/2021/178532 (W5) दिनांक 06.08.2021 द्वारा अनुमोदित है।

9 विधिवत अनुमोदित साईट प्लान नक्शा नं. मंडल रेल प्रबंधक मुंबई सेन्ट्रल (बी) 26743/11-F LCO NOC सी मुंबई सेन्ट्रल - 312 की प्रतिलिपि संलग्न है।

10 इस जगह की भविष्य में रेल्वे को किसी भी समय पर जरूरत पडने पर आपको अपने खर्चे पर उक्त भवन को तोडना पडेगा। जिसके लिये आपने करारनामा पर अपने हस्ताक्षर किए है।

11 उक्त प्लान की अनापत्ती प्रमाण पत्र रेल्वे द्वारा दिया गया है। मगर उक्त जमीन का कन्फर्मेशन वेरीफिकेशन पार्टी को बांधकाम का परवाना देने के पहले आपके कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

12 सबंधित महानगर पालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भवन की R.C.C.गणना में भूकम्प प्रतिरोधी मानक लिये गये हो ।

13 संबंधित स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत आदि द्वारा पार्टी को अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने से पहले भूमि के स्वामित्व के बारे में पुष्टि एवं सत्यापन करें। इस संबंध में उत्पन्न संपत्ती स्वामित्व विवाद के लिये रेल्वे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा।

14 स्थानीय नागरिक प्राधिकारी पार्टी द्वारा 60 दिनों के अवधि के अंदर रेल्वे मंडलीय प्राधिकारी को अनापत्ती प्रमाण पत्र का संदर्भ देते हुए लिखित सूचना दी जाए कि निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

15 भविष्य में रेल्वे भूमि पर अतिकमण न होवे इसलिये RCC दीवार न्युनतम 8 फिट ऊँची ट्रेक के समानांतर पार्टी द्वारा स्वत के खर्चे से पार्टी की भूमि पर बनाई जाएं एवं रेल्वे बाऊंन्ड्री कि तरफ खुलता हुआ कोई दरवाजा न बनाया जायें।

16 निर्माण के समय रेल्वे भूमि की तरफ क्रेन कार्य (Crane Working)में पूर्ण सावधानी बरती जायें।तथा बगैर रेलवे की जानकारी के क्रेन वर्किंग ना की जाये निर्माण के समय अथवा बाद में उक्त भवन के कारण यदि रेल्वे को किसी भी प्रकार की हानि होती हे तो पूरा हर्जाना बिल्डर द्वारा दिया जायेगा।

17 पार्टी द्वारा रू 100/- stamp पेपर पर यह अंडर टेकिंग दे दी गयी है, कि रेलवे बाऊंड्री के नजदीक खुदाई का कार्य करने पर, रेलवे की बाऊंड्रीवाल अथवा किसी बिल्डिग को किसी प्रकार क्षति नही होगी तथा खुदाई करने से पहले रेलवे इंजीनियर से इस खुदाई की स्कीम की अनुमति लेनी होगी।अगर कुछ क्षति होती है तो पार्टी अपने खर्चे पर पुन: बनायेगी अथवा रिपेयर करेगी।

संलग्नक:- DRM(B)26743/11-F. LCO NOC BCT 312 की अनुमोदित प्लान की प्रति

आपका भवदीय

(सुधीर आर. दुबे)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्य)
मुंबई सेन्ट्रल मुंबई - 400008

प्रति प्रमुख मुख्य इंजीनियर चर्चगेट के पत्र सं WLN1/4/2021/178532(W5) दिनांक 06/08/2021 को अंतर्गत जानकारी हेतु प्रेषित है।

प्रति सहाय्यक मंडल ईजीनियर (सम्पदा उत्तर) BVI आपको निर्देश दिये जाते है
प्रति सहाय्यक मंडल ईजीनियर (पटरी उत्तर) BVI कि नियम सं 1 निर्धारित
प्रति वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता (कार्य) BVI पैरामीटर का कडाई से
प्रति वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता (पटरी) BVI पालन किया जाय

प्रति –**Architect Shri,Manisha Shah,Wing-B,1101,Western Edge II,Western E.Highway Borivali (E)-400066**